समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 124 /सा0 सु0

प्रेषक, जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
बिहार – पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक–16 फरवरी 2012

विषयः – अल्पकालीन निविदा प्रकाशन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जिलान्तर्गत वृद्वावस्था पेंशनधारियों को फोटोग्राफी कराने तथा पेंशन पुस्तिका छपाई हेतु अल्पकालीन निविदा दो–तीन हिन्दी समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। निविदा की छः अतिरिक्त प्रति एवं सी0डी0 संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
पूर्णियाँ

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 124 /सा0सु0, दिनांक– 16 फरवरी 2012 ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
पूर्णियाँ

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 124 /सा0सु0, दिनांक– 16 फरवरी 2012 ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
पूर्णियाँ

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

Received 17/2/12

बिहार सरकार
समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा

एतद् सूचित किया जाता है कि सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक– 280 स०क०, दिनांक– 03.02.12 द्वारा पूर्णियाँ जिला अंतर्गत सभी छः प्रकार के पेंशनधारियों का फोटोग्राफी कराना तथा सभी को पेंशन पुस्तिका आपूर्त्ति की जानी है। फोटोग्राफी एवं पेंशन पुस्तिका हेतु अलग–अलग निविदा आमंत्रित की जाती है। वैसे संस्थान/एजेंसी जो आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर वांछित संख्या में सामग्रियों की आपूर्त्ति करने में सक्षम हों, निविदा में भाग ले सकते है। अल्पकालीन निविदा की अन्य शर्त्ते निम्न प्रकार है:–

1. निविदा दाता को आयकर एवं बिक्रीकर निबंधन संबंधी प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता फोटोग्राफी मद में जमानत राशि के मद में 5000.00 (पाँच हजार) रूपये एवं पेंशन पुस्तिका मद में मो0– 10000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक डॉफ्ट, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ के पदनाम से निविदा के साथ जमा करना होगा।
3. फोटोग्राफी के लिए निविदादाता को पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर में पेंशनधारियों का फोटो खिचना होगा एवं तुरंत शिविर स्थल पर ही दो प्रति में फोटो प्रिंट कर निकाल कर देना होगा । डिजिटल फोटोग्राफी से पासपोर्ट साईज का फोटो होगा। प्रत्येक पंचायत में लगभग 600 लाभार्थी होंगे। कम समय में कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से आपूर्ति कर्त्ता का चयन प्रखंडवार भी किया जा सकता है। शिविर स्तर पर जेनरेटर की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जायेगा।
4. पेंशन पुस्तिका 6''x 4'' का होगा। कभरींग प्लास्टिक कोटेड होगा। प्लास्टिक कभरींग पर अंकित होनेवाला विवरणी एवं पेंशन पुस्तिका के भीतर अंकित होने वाला विवरणी बेबसाईट www.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है या सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, पूर्णियाँ से भी प्राप्त किया जा सकता है। पेंशन पुस्तिका का एक पृष्ठ पर त्रैमासिक भुगतान के बारे में लिखना होगा। पेंशन पुस्तिका के भीतर अंकित पन्ना 5 होगा, जिस पर 10 वर्षो का भुगतान हो सकता है। सभी पेंशनधारियों के पेंशन पुस्तिका का रंग अलग–अलग होगा।
5. निविदा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ में दिनांक– 25.02.12 के 2.00 बजे अपराह्न तक दाखिल की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. दाखिल निविदा दिनांक– 25.02.12 को ही 3.00 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, अन्यथा मोहरबंद निविदाओं को उनकी अनुपस्थिति में ही खोला जायेगा।
7. आपूरित सामग्रियों के लिये कोई अग्रिम देय नही होगा। सामग्रियों की गुणवता की जाँच के उपरान्त ही भुगतान होगा। निर्धारित संख्या में सामग्री प्रखंड मुख्यालय/नगर निकाय कार्यालय में आपूर्त्ति करना होगा।
8. सामग्रियों के क्रय के संबंध में जिला क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी निविदाओं के लिए मान्य होगा।
9. बिना कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

16.02.12
सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
16/02/12 पूर्णियाँ

16/2/12
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ

C:\Documents and Settings\GUDDU\Desktop\Monthey Report\All letter 2011.doc.119